न्यायालय मू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 72/2021 GCMS No 2021/179
दायरा तिथि : 17.08.2021
फैसला तिथि : 13-12-2021
प्रार्थी::–

श्री ओटाराम पुत्र श्री वीरमाराम जाति सीरवी
निवासी पांचलवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

1. श्री तखतसिंह पुत्र श्री थानसिंह जाति राजपुत
   निवासी दांतीवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 13-12-2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम दांतीवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 709 रकबा 1.05 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में दर्ज अपने 1/2 हिस्सा को त्रुटिपुर्ण बताते हुये दुरस्ती के माध्यम से प्रार्थी का 2/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या–01 तखतसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में वादग्रस्त कृषि की जमाबंदी संवत् 2049 से 2052 की फोटो प्रति, बेचान रजिस्ट्री दिनांक 13.11.1995 की फोटो प्रति, जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 की फोटो प्रति, सेग्रीगेशन के बाद की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की प्रतियॉ पेश की गई। प्रकरण पंजिबद्ध कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं साथ ही तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का, भीटवाडा व तहसीलदार, बाली ने जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम दांतीवाडा के खसरा नंबर 709 रकबा 1.05 हैक्टर में ओटाराम पुत्र वीरमाराम सिरवी 1/2 तखतसिंह पुत्र थानसिंह राजपूत 1/2 खातेदार दर्ज है। रिपोर्ट में वक्त सग्रीगेशन हिस्सा कस्सी के दौरान् उक्त हिस्से दर्ज किया जाना बताया। ओटाराम पुत्र वीरमाराम ने जरिये पंजिकृत दस्तावेज दिनांक 13.11.1995 को उक्त खसरे का 2/3 हिस्सा खरीद करना बताया। तत्कालिन चौसाला में हिस्सा खुला हुआ नहीं था, वक्त सेग्रीगेशन ओटाराम/वीरमाराम का हि. 1/2 एवं तखतसिंह पुत्र थानसिंह का हि. 1/2 दर्ज कर दिया गया। चूँकि उक्त त्रुटि गत् चौसाले से वर्तमान चौसाला से हुई त्रुटि नहीं है, वक्त सेग्रीगेशन हिस्सा कस्सी की गई हैं। तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 09.12.2021 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–01 ने व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी का 2/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या–01 का 1/3 हिस्सा दुरस्ती के जरिये शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी पक्ष की ओर से इस आशय का नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र भी पेश किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के जवाब एवं पटवारी हल्का भीटवाडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार सेग्रीगेशन दौरान् हिस्सा कस्सी त्रुटिपुर्ण दर्ज हुई है, इससे पहले हिस्सा खुल्ला हुआ नहीं होने तथा दो सह खातेदार होने से 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जबकि बेचान रजिस्ट्री के अनुसार प्रार्थी 2/3 हिस्से का खरीददार है, जिस तथ्य को अप्रार्थी संख्या–01 ने न्यायालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर स्वीकार किया है। जिससे ग्राम दांतीवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 709 रकबा 1.05 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में सेग्रीगेशन के दौरानॅ दर्ज प्रार्थी का 1/2 हिस्सा को दुरस्ती के माध्यम से प्रार्थी का 2/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या–01 तखतसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना विधि अनुसार न्याय संगत हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम दांतीवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 709 रकबा 1.05 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपुर्ण 1/2 हिस्सा को दुरस्ती के माध्यम से शुद्ध करते हुये प्रार्थी का 2/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या–01 तखतसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भीटवाडा आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भीटवाडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
मू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली

आदेश आज दिनांक 13-12-2021 को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

मू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली